



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265750
CG-DL-E-28082025-265750

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3769]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947

No. 3769]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

[विदेश व्यापार महानिदेशालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2025

सं. 26 /2025-2026

विषय: आइटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची- I (आयात नीति) के अध्याय 48 के अंतर्गत शामिल विशिष्ट वस्तुओं के आयात की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 3874(अ)— समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 48 के अंतर्गत शामिल विशिष्ट वस्तुओं के आयात की नीतिगत शर्त को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित करती है (किए गए परिवर्तन मोटे अक्षरों में हैं):

एचएस कोड	विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
48059100	-अन्य -- : 150 जी/एम या उससे कम भार	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त।	1. इस अध्याय की नीतिगत मुक्ता शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्ता। 2. तथापि, वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी) जिसका सीआईएफ मूल्य रु. 67,220/एमटी से कम है, का आयात 31.03. 2026 तक "प्रतिबंधित" है।
48059200	-अन्य -- : 150 जी/एम से अधिक लेकिन 225जी/एम से कम भार	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त।	1. इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्ता। 2. तथापि, वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी) जिसका सीआईएफ मूल्य रु. 67,220/एमटी से कम है, का आयात 31.03. 2026 तक "प्रतिबंधित" है।
48059300	-अन्य -- : 225 जी/एम या अधिक वजन	मुक्त	इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के अंतर्गत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्त	1. इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन मुक्ता है। 2. तथापि, वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी) जिसका सीआईएफ मूल्य रु. 67,220/एमटी से कम है, का आयात 31.03.2026 तक "प्रतिबंधित" है।
48109200	-अन्य कागज और पेपरबोर्ड : --मल्टी-प्लेई	मुक्त	1. स्टॉक लॉट का आयात निषिद्ध है (अधिसूचना संख्या 45/2015-2020 दिनांक 31/01/2020)। 2. तथापि, इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन अन्य वस्तुओं का आयात मुक्त	1. स्टॉक लॉट का आयात निषिद्ध है (अधिसूचना संख्या 45/2015-2020 दिनांक 31/01/2020)। 2. तथापि, इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआइएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन अन्य वस्तुओं का आयात मुक्ता है। 3. तथापि, वर्जिन मल्टी-लेयर

				पेपर बोर्ड (वीपीबी) जिसका सीआईएफ मूल्य रु. 67,220/एमटी से कम है, का आयात 31.03. 2026 तक "प्रतिबंधित" है।
48109900	-अन्य कागज और पेपरबोर्ड : --अन्य	मुक्त	1. स्टॉक लॉट का आयात निषिद्ध है (अधिसूचना संख्या 45/2015-2020 दिनांक 31/01/2020)। 2. तथापि, इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन अन्य वस्तुओं का आयात मुक्त	1. स्टॉक लॉट का आयात निषिद्ध है (अधिसूचना संख्या 45/2015-2020 दिनांक 31/01/2020)। 2. तथापि, इस अध्याय की नीतिगत शर्त 04 के अनुसार कागज आयात निगरानी प्रणाली (पीआईएमएस) के तहत अनिवार्य पंजीकरण के अधीन अन्य वस्तुओं का आयात मुक्त। 3. तथापि, वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी) जिसका सीआईएफ मूल्य रु. 67,220/एमटी से कम है, का आयात 31.03. 2026 तक "प्रतिबंधित" है।

अधिसूचना का प्रभाव: आईटीसी (एचएस) कोड 48059100, 48059200, 48059300, 48109200 और 48109900 के अंतर्गत वर्जिन मल्टी-लेयर पेपर बोर्ड (वीपीबी) के आयात के लिए लागत, बीमा और माल ढुलाई (सीआईएफ) पर दिनांक 31.03.2026 तक 67,220 रुपये प्रति मीट्रिक टन का न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एम-25/पीसी-2(ए)/[ई-43352]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[Directorate General of Foreign Trade]

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2025

No. 26 /2025-26

Subject: Amendment in Import Policy Condition of specific items covered under Chapter 48 of ITC HS, 2022, Schedule –I (Import Policy)-regarding.

S.O. 3874(E)— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy Condition of items covered under specific HS codes of Chapter 48 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy), with immediate effect, as under (**changes made are in Bold letters**):

HS Code	Description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
48059100	- Other : --	Free	Free subject to Compulsory Registration	1. Free subject to Compulsory

	Weighing 150 g/m or less		under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter	Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter. 2. However, import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) having a CIF value less than INR 67,220/ MT is “Restricted” till 31.03.2026.
48059200	- Other : -- Weighing more than 150 g/m but less than 225 g/m	Free	Free subject to Compulsory Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter	1. Free subject to Compulsory Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter. 2. However, import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) having a CIF value less than INR 67,220/ MT is “Restricted” till 31.03.2026.
48059300	- Other : -- Weighing 225 g/m or more	Free	Free subject to Compulsory Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter	1. Free subject to Compulsory Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter. 2. However, import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) having a CIF value less than INR 67,220/ MT is “Restricted” till 31.03.2026.
48109200	- Other paper and paperboard : -- Multi-ply	Free	1. Import of Stock lot is Prohibited (Notification No. 45/2015-2020 dated 31/01/2020). 2. However, Import of other items are Free subject to Compulsory Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter.	1. Import of Stock lot is Prohibited (Notification No. 45/2015-2020 dated 31/01/2020). 2. However, Import of other items are Free subject to Compulsory Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter. 3. However, import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) having a CIF value less than INR 67,220/ MT is “Restricted” till 31.03.2026.
48109900	- Other paper and paperboard : -- Other	Free	1. Import of Stock lot is Prohibited (Notification No. 45/2015-2020 dated 31/01/2020). 2. However, Import of other items are Free subject to Compulsory Registration under Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter.	1. Import of Stock lot is Prohibited (Notification No. 45/2015-2020 dated 31/01/2020). 2. However, Import of other items are Free subject to Compulsory Registration under

				<p>Paper Import Monitoring System (PIMS) as per policy condition 04 of this Chapter.</p> <p>3. However, import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) having a CIF value less than INR 67,220/ MT is “Restricted” till 31.03.2026.</p>
--	--	--	--	--

Effect of the Notification: Minimum Import Price (MIP) of INR 67,220 per MT on Cost, Insurance, and Freight (CIF) value, is imposed for import of Virgin Multi-layer Paper Board (VPB) under ITC (HS) Codes 48059100, 48059200, 48059300, 48109200 and 48109900 till 31.03.2026.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-25/PC-2(A) / [E-43352]

AJAY BHADOO, Addl. Secy. & Director General of Foreign Trade